

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा)- 176213

क्रमांक. दि. 05/05/2013 (1) संस्थापन-सा.0फा.0-212/2013

दिनांक. 29-7-2013

10671-750

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDNFC A(3) 1/2013 (Service Guarantee Act) दिनांक 8.5.2013 के संदर्भ में The public Service Guarantee Act 2011 के अन्तर्गत बोर्ड के विभिन्न कार्यों के लिये निर्धारित प्रोत्तर में समयावधि निर्धारित की गई है।

1. Re-evaluation of Examination paper sheets

यहाँ जारी सूचालित किसी भी परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के लिये प्राप्त आवेदन पत्र सही पाये जाने पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात लगभग 60 दिन की समयावधि परीक्षा परिणाम को घोषित करने की निर्धारित की गई है।

2. Issue of Duplicate Marks Card/Provisional Marks Cards.

अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पास, फेल, कम्पार्टमेंट कार आदि के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर सभी औपचारिकतायें पूरा करके सही पाये जाने पर अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र/काई जारी करने के लिये अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से लगभग 30 दिन की समयावधि निर्धारित की गई है।

3. Disposal of application for recognition of new Educational Institutional.

शिक्षण संस्थानों की मान्यता (Recognition) प्रदान करना शिक्षा विभाग के कर्तव्य क्षेत्र में आता है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नवी शिक्षण संस्थानों की संबद्धता (Affiliation) प्रदान करने का कार्य किया जाता है जोकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 92/2006 titled Divya Jyoti Educational Society Vs. HPBOSE दिनांक 25.5.2006 के अन्तर्गत निर्धारित संबद्धता प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है जिसका ब्यौर निम्न प्रकार से है :-

Sr.No.	Affiliation Procedure 6	Affiliation Schedule fixed
	संबद्धता आवेदनों को कार्यालय में भेजने की निर्धारित तिथियों की जानकारी हेतु तीन अंग्रेजी तथा तीन हिन्दी के अखबारों में इसका प्रकाशन करवाया जाना।	सितम्बर महाने में (30 सितम्बर तक)
	संबद्धता प्राप्त होने वाले आवेदनों की कार्यालय में प्रेषण की अंतिम तिथि।	अक्टूबर महाने में (31 अक्टूबर तक)

3.	जिन संस्थानों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है उसका निरीक्षण करवाया जाना।	नवम्बर महीने (30 th नवम्बर तक)
4.	निरीक्षण के दौरान/सक्रियिग कमेटी द्वारा पाई गई कमियों बारे संस्थानों को सूचित करना।	दिसम्बर महीने में (15 th दिसम्बर तक)
5.	संस्थानों द्वारा, बोर्ड कार्यालय से बताई गई कमियों को दूर किया जाता है।	दिसम्बर महीने में (30 th दिसम्बर तक)
6.	संस्थानों को संबद्धता बारे लिये गये निर्णय से कार्यालय द्वारा अवगत करवाया जाता है।	जनवरी महीने में (31 st जनवरी तक)

अतः उपरोक्त समय सारणी के दृष्टिगत निजी शिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिये बोर्ड द्वारा अन्तिम तिथि से 90 दिन निर्धारित की है।

4. Issue of Migration certificates

माईग्रेशन प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित आवेदन पत्र सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र अनुलिपि प्रमाण पत्र शाखा में प्राप्त होने की तिथि से दस दिन की समयावधि निर्धारित की गई है।


सचिव

पृ० संख्या यथोपरि। 10671-750

दिनांक: 29-7-2013

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सहायक (अध्यक्ष/सचिव)
2. समस्त उच्च अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक/ प्रभारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड/समस्त पुस्तक विक्रय, हिमाचल प्रदेश।
3. सहायक सचिव/ अनुभाग अधिकारी, भण्डार को इस निर्देश सहित कि वे उक्त के सन्दर्भ में बोर्ड मुख्यालय के मुख्य गेट न०-1 पर वांछित सूचना, सूचना पट्ट पर दर्ज करवाएं ताकि बोर्ड में बाहर से आने वाले आगन्तुकों को मुख्य गेट पर ही समस्त जानकारी प्राप्त हो सके।
4. उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)।
5. रक्षक सचिका।


सचिव